



3083/1522



बिहार BINAR क्रम संख्या 345 तिथि 13/4/2015 मूल्य 5000 रीट संख्या 22.02/1522 - A 476497

Serial No. 3032 क्रेता का नाम एवं पता ... Deed No. 2984

Govt. of Bihar
Sub Registry Office, Phulwari Sharif

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 13/04/2015 by Rakesh Kumar. A Stamp Duty of Rs. 512800/- and other Fees of Rs. 21500/- has been paid in it. The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page. The document has been registered as Deed No. 2984 in Book No. 1, Volume No. 58 on pages from 206 to 225 and has been preserved in total 20 pages in C.D. No. 9 / Year 2015

Date: 13/04/2015

Token No: 3083 / 2015

Registering Officer, Phulwari Sharif

Signature with Date
(Rishi Kumar Singh) 13/4/2015

Scanned by
Marendra Kumar

विकास कार्य एकरारनामा (डवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट)

यह एकरारनामा आज दिनांक- 13/4/2015 ई0 को निम्नांकित पक्षों के बीच किया जाता है।



Rakesh Kumar
13/4/15
Nishu Kumar
13/4/15
DOUBLE A DEVELOPERS PVT. LTD
Anil Kumar
13.4.15 DIRECTOR

1. श्री राकेश कुमार } वल्दान स्व०
2. श्री निशिकांत कुमार } सुरेन्द्र सिंह
3. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार पिता श्री धर्मदेव सिंह,
4. श्री कौशल कुमार सिन्हा पिता स्व० कैलाश सिंह
5. मोस्मात सुनीता देवी पति स्व० दिलीप कुमार

सभी निवासी ग्राम- बेउर, पोस्ट- अनिसाबाद, थाना- बेउर, जिला-पटना, (बिहार) (प्रथम पक्षगण) "भूखण्ड स्वामी" से अभिप्राय उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाना है, जिसमें भूखण्ड स्वामी के भूखण्ड निहित प्रतिनिधित वारिसान सदस्य/ प्राधिकृत एजेन्ट/उत्तराधिकारीगण एवं प्रशासकीय प्रतिनिधि सम्मिलित है।

एवम्

मेसर्स डबल ए डेवलपर्स प्रा० लि० जिसका प्रशासनिक कार्यालय- अशोक नगर (शान्ति भवन), रोड नं०-1 पोस्ट- लोहिया नगर, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना-20 है। निर्देशक श्री अनिल कुमार पिता स्व० मथुरा प्रसाद शर्मा निवासी महल्ला- अशोक नगर (शान्ति भवन), रोड नं०-1 पोस्ट- लोहिया नगर, थाना- कंकड़बाग, जिला-पटना-20 "विकासकर्ता" (द्वितीय पक्ष) यहाँ "विकासकर्ता" द्वितीय पक्ष से अभिप्राय यह है कि उनके उत्तराधिकारी, कार्यालय उत्तराधिकारी एवं प्राधिकृत एजेन्ट एवं चयनित उत्तराधिकारी से है, जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पक्ष विकासकर्ता से है, उन्हें सम्मिलित किया जाता है।

PAN- AACCD6511E

1. यह कि ऊपर वर्णित प्रथम पक्ष के सदस्य भूखण्ड स्वामी है जो कि नीचे वर्णित भूखण्ड जिसका रकवा-12 कट्ठा 15 धुर 18 धुरकी (बारह कट्ठा पन्द्रह धुर अठारह धुरकी) यानि 39.9843 डिसमील जिसपर मालिक मुस्तकिल निर्विवाद रूप से है जो कि वाके मौजा- बेउर, सर्वे थाना-फुलवारी शरीफ, हाल थाना- बेउर, सब रजिस्ट्री फुलवारी शरीफ, वो सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना में स्थित है, जिसका थाना नं०-13/4/2015 (तीस), मूल्यांकन कोड



DOUBLE A DEVELOPERS PVT. LTD.

Anil Kumar
DIRECTOR
13.4.15

Nyishuj Kanut Kumar

Sayamanta Kumar
13/4/2015

Rakesh Kumar
13/4/15

13/4/15 - 11/11/15

नं०-191, तौजी नं०-बिहार सरकार, खाता नं०-191, सर्वे प्लॉट नं०-631 का अंश सेलाना लगान मो० 5.00 रुपया अलावे शेष वजरिये अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय, फुलवारी शरीफ को देय है सम्पति पटना नगर निगम क्षेत्र के अन्दर है जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

चौहद्दी

- उत्तर :- श्री नवल सिंह एवं नन्द सिंह
 दक्षिण :- 20 फीट चौड़ा सड़क एवं रघुवंश सिंह बो रामानन्द सिंह वगैरह
 पूरब :- हाल खरीदारी अवध बिहारी सिंह एवं रामनन्दन सिंह वगैरह
 पश्चिम :- 16 फीट चौड़ा सड़क एवं रघुवंश सिंह

नोट- राकेश कुमार मवाजी 02 कट्ठा 15 धुर 10 धुरकी, निशिकान्त कुमार मवाजी 02 कट्ठा 15 धुर 10 धुरकी, ज्ञानेन्द्र कुमार मवाजी 3 कट्ठा 12 धुर 9 धुरकी, कौशल कुमार सिन्हा मवाजी 01 कट्ठा 16 धुर 4 1/2 धुरकी सुनीता देवी मवाजी 01 कट्ठा 16 धुर 4 1/2 धुरकी जमीन का डेवलेपमेन्ट एग्रीमेन्ट कर रहे है।

यह कि उपर्युक्त सम्पति प्रथम पक्ष राकेश कुमार एवं निशिकान्त कुमार के पूर्वज लालपड़ी कुँवर पति श्री छेछु सिंह को प्लॉट हाजा में हरि शंकर प्रसाद वल्द मुन्शी सोहावन लाल साकिन-डाकबंगला रोड, थाना- कोतवाली, जिला-पटना मोख्ताआम मिनजानिब अरुण कुमार पिता श्री नागेश्वर प्रसाद साकिन-डाकबंगला, थाना-कोतवाली जिला-पटना से बदलैन होकर मिला है जिसका बदलैन वसीका नं०-2072, जिल्द नं०-43, पेज नं०-338 से 343 तक, बुक नं०-1, सन् 1958 ई० को पटना निबंधन कार्यालय के माध्यम द्वारा निबंधित होकर लालपड़ी कुँवर को मवाजी 53 डिसमील मिला जिसपर लालपड़ी कुँवर काबिज दाखिल चली आयी। लालपड़ी कुँवर अपने सम्पति के वारिस अपने

DOUBLE A DEVELOPERS PVT. LTD.

Anil Kumar
DIRECTOR

17.4.15

Nishu Keshav Kumar

13/4/2015
सुनीता देवी
15/4/2015

Rakesh Kumar

13/4/15

13/4/15



तीन पुत्रगण नामतः 1. भागवत सिंह, 2. चन्द्रिका सिंह, 3. महेन्द्र सिंह को छोड़ स्वर्गवास कर गये। बाद स्वर्गवास माता के तीनों भाई बजरिये आपसी खानगी बँटवारा के द्वारा बँटकर प्लॉट हाजा की सम्पति भागवत सिंह को खास हक वो हिस्सा में मिला वो पड़ा। जिसपर भागवत सिंह काबिज रहते हुये अपने एकमात्र पुत्र सुरेन्द्र सिंह को छोड़ स्वर्गवास कर गये। वो कुछ अर्से बाद सुरेन्द्र सिंह अपने सम्पति के वारिस अपने तीन पुत्रगण नामतः 1. राकेश कुमार, 2. कृष्णकान्त कुमार, 3. निशिकान्त कुमार को छोड़ कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास पिता के तीनों भाईयों के बीच आपसी खानगी बँटवारा के द्वारा बँटकर प्लॉट हाजा की सम्पति राकेश कुमार एवं निशिकान्त कुमार को खास हक वो हिस्सा में मिला वो पड़ा जिसपर राकेश कुमार एवं निशिकान्त कुमार सम्पति पर काबिज दाखिल होकर मालिक मुस्तकिल बनकर वो रहकर उससे उत्पतित आय का उपयोग वो उपभोग मौजूदा वक्त तक करते चले आ रहे हैं। वो मालगुजारी साल व साल अपने-अपने नाम से जमाबंदी नं०-6407 एवं 6409 पर अदा वो वसुल करते चले आ रहे हैं।

यह कि उपर्युक्त सम्पति में कुछ भाग प्रथम पक्ष ज्ञानेन्द्र कुमार, कौशले कुमार सिन्हा एवं मोस्मात सुनीता देवी के पूर्वज जगदेव सिंह पिता राजबल्लम सिंह को प्लॉट हाजा में हरि शंकर प्रसाद वल्द मुन्शी सोहावन लाल साकिन- डाकबंगला रोड, थाना- कोतवाली, जिला-पटना मोख्ताआम मिबज्जाबिब अरुण कुमार पिता श्री नागेश्वर प्रसाद साकिन- डाकबंगला, थाना-कोतवाली जिला-पटना से बदलैन होकर मिला है जिसका बदलैन वसीका नं०-6748, बुक नं०-1, सन् 1958 ई० को पटना निबंधन कार्यालय के माध्यम द्वारा निबंधित होकर जगदेव सिंह एवं उनके पट्टीदार को भवाजी 62 डिसमील मिला जिसपर जगदेव सिंह काबिज दाखिल चली आये। जगदेव सिंह अपने सम्पति के वारिस अपने दो पुत्रगण नामतः 1. विश्राम सिंह, 2. कैलाश सिंह, को छोड़ स्वर्गवास कर गये। बाद स्वर्गवास पिता के दोनों भाई बजरिये आपसी खानगी बँटवारा के द्वारा

DOUBLE A DEVELOPERS PVT. LTD.

Prithvi Kumar
DIRECTOR

13.4.15

Sugamendra Kumar


Nishu Kanit Kumar

13/4/15
सुगमेश्वर देवी

Rakesh Kumar

13/4/15

विश्राम सिंह



बँटकर प्लॉट हाजा की सम्पति विश्राम सिंह को खास हक वो हिस्सा में मिला वो पड़ा। जिसपर विश्राम सिंह काबिज रहते हुये अपने एकमात्र पुत्र धर्मदेव सिंह को छोड़ स्वर्गवास कर गये। वो कुछ अर्से बाद धर्मदेव सिंह अपने सम्पति के वारिस अपने तीन पुत्रगण नामतः 1. शिवेन्द्र कुमार, 2. नरेन्द्र कुमार, 3. ज्ञानेन्द्र कुमार के पिताजी ने तीनों भाईयों के बीच आपसी खानगी बँटवारा के द्वारा बँट दिये बँटवारा फलस्वरूप प्लॉट हाजा में कुछ सम्पति ज्ञानेन्द्र सिंह को खास हक वो हिस्सा में मिला वो पड़ा एवं कैलाश सिंह सम्पति के वारिस अपने दो पुत्रगण नामतः 1. कौशल कुमार सिन्हा, 2. दिलीप कुमार को छोड़ स्वर्गवास कर गये। वो कुछ अर्से बाद दिलीप कुमार अपने सम्पति के उत्तराधिकारी अपने पत्नी सुनीता देवी को छोड़ स्वर्गवास कर गये। बाद स्वर्गवास पूर्वज के विभक्त होकर अपने-अपने एराजी पर प्रथम पक्षगण सम्पति पर काबिज दाखिल होकर मालिक मुस्तकिल बनकर वो रहकर उससे उत्पतित आय का उपयोग वो उपभोग मौजूदा वक्त तक करते चले आ रहे हैं। वो मालगुजारी साल व साल अपने-अपने नाम से जमाबंदी नं०-4094, 6410 एवं 6411 पर अदा वो वसूल करते चले आ रहे हैं।

2. यह कि ऊपर वर्णित प्रथम पक्षगण जो कि भूखण्ड स्वामी है तथा वर्णित सम्पति (भूखण्ड) पर भूखण्ड स्वामी का दखल कब्जा शान्तिपूर्ण ढंग से निर्विवाद रूप से चले आ रहे हैं। भूखण्ड हर प्रकार के स्वत्वदोष वो ऋण भार से मुक्त तथा तामिल नुकस हकियत वो वारदैन से पाक साफ है।
3. यह कि भूखण्ड स्वामी आन्तरिक इच्छा से ऊपर वर्णित भूखण्ड का रचनात्मक विकास के लिए तथा उक्त भूखण्ड पर एक बहुमंजिला इमारत (आवासीय) आधुनिक तकनीक से फ्लैटों का निर्माण करवाने हेतु द्वितीय पक्ष (विकासकर्ता) के साथ यह भूखण्ड निर्माण विकास एग्रीमेन्ट हेतू (एकरारनामा) उभय पक्षों के बीच आपसी सहमति एवं निर्धारित शर्तों पर पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता की हालत में अपना नफा-नुकसान सोच-समझकर बिना किसी के जोर दबाव के निष्पादित किया जाता है।

DOUBLE A DEVELOPERS PVT. LTD

Anil Kumar
DIRECTOR

Gyanendra Kumar 12.4.15

Nishu Kunt Kumar

13/4/2015
सनीता देवी

Rakesh Kumar

13/4/15

13/4/15



4. यह कि विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) इस जमीन पर उपर्युक्त लिए गए निर्णय के अनुसार प्लैटों का निर्माण करने के लिए सहमत हैं। इस निर्माण कार्य में जो भी खर्च होगा उस खर्च को विकासकर्ता पूर्णतया स्वयं वहन करेंगे।
5. यह कि एकरारनामा के होते ही विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) अपने माध्यम से उक्त जमीन के विकास के लिए अविलम्ब ही नक्शा बनाएंगे जिसमें कि दोनों पक्षों को अधिक से अधिक लाभ एवं सुविधा हों सकें।
6. यह कि उपर्युक्त नक्शे को पी0 एम0 सी0 से अनुमति लेने के लिए भूस्वामी (प्रथम पक्ष) के हस्ताक्षर से विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) के द्वारा जमा किया जाएगा, इसमें किसी भी पक्ष को एतराज नहीं होगा, परन्तु इसमें जो खर्च होगा वह सभी खर्च विकासकर्ता द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।
7. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात् कुल निर्मित क्षेत्रफल में से 50% (पचास प्रतिशत) पूर्ण रूप से विकसित कर हर सुविधा के साथ प्रथम पक्ष को सौंपेंगे तथा शेष हिस्सा 50% (पचास प्रतिशत) क्षेत्रफल विकासकर्ता द्वितीय पक्ष का होगा।
8. यह कि भूखण्ड स्वामी का हिस्सा एवं विकास कर्ता का हिस्सा Architect द्वारा नक्शा बनाये जाने के बाद एवं सम्बन्धित ऑयोरिटी द्वारा नक्शा पास करने के बाद आपसी सहमति से तय हो जायेगा कि कौन सा एरिया भूखण्ड स्वामी का होगा एवं कौन सा एरिया विकासकर्ता का होगा।
9. यह कि विकासकर्ता पी0 एम0 सी0 से नक्शा स्वीकृत होने के दिन से 3 वर्ष 11 महीना (तीन वर्ष ग्यारह महीना) के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करेंगे, इसके अतिरिक्त 6 महीना (छः महीने) का समय ग्रेस अवधि दिया जायेगा। अगर निर्धारित अवधि में भू-स्वामी (प्रथम पक्ष) का हिस्सा पूर्ण तथा विकसित कर नहीं सौंपा गया तो द्वितीय पक्ष, पच्चीस हजार रुपया प्रति महीना के दर से हर्जाना देंगे जिसमें

DOUBLE A DEVELOPERS PVT. LTD

Anil Kumar
DIRECTOR
12.4.15Gyanendra Kumar
12/4/2015

Nishu Khandkumar

13/4/2015
सुनील कुमार

Rakesh Kumar

13/4/15

कोशिल-कुमार-1/12/15



- सभी भूखण्ड स्वामी अपने-अपने शेयर के अनुसार भुगतान पायेंगे।
10. यह कि विकासकर्ता भूखण्ड स्वामी के हिस्से का 50% निर्माण पूर्ण सभी सुविधाओं के साथ विकसित कर निर्माण अवधि के अन्दर सौंप देंगे।
 11. यह कि इस एग्रीमेन्ट के तहत उभय पक्ष एक-दूसरे को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल सुपर निर्मित क्षेत्रों में प्रस्तावित सुविधाओं के साथ छत, सीढ़ी, लिफ्ट, बालकोनी, एमिनीटिज, फ्लैटों का उपयोग एवं उपभोग उनके क्रमशः आवंटित हिस्सों पर स्वयं अथवा उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि या खरीदार वगैरह अथवा सोसाईटी के लिए स्वतंत्र होंगे।
 12. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी प्रकार के कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करने का अधिकार होगा, जिससे की प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन हो सके। निर्माण कार्य में लागत पुंजी का कुल समावेश द्वितीय पक्ष स्वयं करेंगे। पुंजी मुहैया हेतु द्वितीय पक्ष के हिस्से का खरीदार किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से आर्थिक ऋण लेने, बुकिंग कार्य / आर्थिक ऋण उगाही का कार्य सिर्फ अपने निर्मित हिस्से के क्षेत्र पर ही द्वितीय पक्ष करेंगे।
 13. यह कि सरकारी नितियों के कारण मुकदमा के कारण या न्यायालय के आदेश के तहत निर्माण कार्य रुक जाए तब वैसी हालत में विकासकर्ता का दोष नहीं होगा। इस हालत में विकासकर्ता द्वारा कार्य करने की अवधि जितना दिन कार्य बन्द होगा, उतना दिन के लिए अवधि बढ़ा दिया जायेगा। अगर विकासकर्ता की ओर से गलती होती है तो यह नियम नहीं लागू होगा।
 14. यह कि सभी संबंधित विशेष जैसे रचनाकार, अभियंता, सर्वेयर, ठेकेदार आदि की नियुक्ति विकासकर्ता को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
 15. यह कि बहुमंजिली इमारत, योजना प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य के लिए सिमेन्ट, औजार, ईट, विद्युत कनेक्शन, लोहा आदि अन्य

GOUBLE A DEVELOPERS PVT. LTD

Anil Kumar
DIRECTOR

13.4.15

Rishu Kumar
13/4/2015
14/9/15

Rakesh Kumar

13/4/15

13/4/15



23. यह कि सभी न्यायिक मामलों का निपटारा पटना अधिनिस्थ न्यायालय से किया जायेगा।
24. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अपने शेयर का निबंधन अपार्टमेन्ट एक्ट के तहत कर सकते हैं।
25. यह कि द्वितीय पक्ष अपने निर्मित हिस्से की सम्पत्ति पर ऋण ले सकते हैं।
26. यह कि सर्विस टैक्स एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी शुल्क प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष अपने-अपने हिस्से का देंगे। तथा प्रथम पक्ष सर्विस टैक्स देने के उपरान्त द्वितीय पक्ष से अपने हिस्से का फ्लैट कब्जा में लेंगे।
27. यह कि द्वितीय पक्ष अगल-बगल का भी जमीन लेकर बिल्डिंग बना सकते हैं इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति वो एतराज न है न होगा।
28. यह कि अपार्टमेन्ट की उपरी यानि छत पर सभी पक्ष एवं उनके द्वारा मनोनित खरीदार का सामान्य अधिकार होगा।
29. यह कि बिहार अपार्टमेन्ट ऑनरशीप ऐक्ट 2006 के लागू होने के उपरान्त भूखण्ड स्वामी द्वारा विकासकर्ता को किसी तरह का मुख्तार/पावर ऑफ अटर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतएव विकासकर्ता प्रस्तावित भवन में जो हिस्सा 50 प्रतिशत फ्लैट/कार पार्किंग तथा जमीन में अनुपातिक हिस्सा पर उक्त अधिनियम की धारा 5 वगैरह के अन्तर्गत निर्विवाद रूप से स्वामी होंगे और इस एग्रीमेन्ट के तत्वावधान में विकासकर्ता को निर्माण कार्य के प्रगति हेतु पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व एवं अन्य कार्य करने का हक होगा।
30. यह कि इस एग्रीमेन्ट के तहत उभय पक्ष एक-दूसरे को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल सुपर निर्मित क्षेत्रों में प्रस्तावित सुविधाओं के साथ छत, सीढ़ी, लिफ्ट, फ्लैटों का उपयोग एवं उपभोग उनके क्रमशः आवंटित हिस्सों पर स्वयं अथवा उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि या खरीदार वगैरह अथवा सोसाईटी के लिए स्वतंत्र होंगे।

GOUBLE A DEVELOPERS PVT. LTD

DIRECTOR


Nishu Kant Kumar

Rakesh Kumar

13.4.15

Kumar 13.4.15

13/4/15



31. यह कि समयावधि में जमीन पर किसी तरह का विवाद/प्राकृतिक आपदा होने पर उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक की होगी। और विवाद के दौरान कार्य बाधित होने पर समय का गणना नहीं होगा।

परिशिष्ट

1. फ्लैट का प्रकार:- सुपर डिलक्स
2. फाउन्डेशन :- आर0 सी0 सी0 पाईलिंग स्ट्रक्चरल डिजाईनर के अनुसार
3. स्ट्रक्चर :- आर. सी0 सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाईनर के अनुसार न्यूनतम
4. सिविल वर्क :- ईट वर्क सिमेन्ट
5. फर्श - सिरामिक टाइल्स/ मार्बल
6. छत - आर सी0 सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाईनर के अनुसार
7. प्लास्टर - वाल पुटी के साथ
8. दरवाजा - मुख्य द्वार पर पल्ला, लकड़ी का चौखट, पल्ला प्लाईबोर्ड
9. खिड़की - स्टील विण्डोज ग्लास/अल्युमिनियम फ्रेम के साथ
10. बाथरूम- दिवाल 5 फीट ग्लेज्ड टाइल्स तथा सतह सिरामिक टाइल्स फ्लोरिंग साथ ही जल आपूर्ति नल फिटिंग /चीनी मिट्टी का सफेद पैन फिटिंग। हर फ्लैट में दो बाथरूम रहेगा ठंडा एवं गर्म पानी के लिए दोनो बाथरूम में ये सुविधा रहेगी।
11. किचन- सरमिक फ्लोरिंग साथ ही जल आपूर्ति फिटिंग कोटा ग्रेनाईट/मार्बल टॉप टेबुल तथा दो फीट ग्लेज्ड टाइल्स टेबुल की तरह।
11. दिवाल फिनिशिंग- अब्दर के सभी दिवाल तथा सिलिंग प्लास्टर बाहर का रंग सिमेन्ट बाश।
12. टी. बी. प्वाइंट- सभी फ्लैट में एक केबुल प्वाइंट और सभी फ्लैट में एक ए0सी0 प्वाइंट।
13. टेलीफोन प्वाइंट - सभी फ्लैट में एक केबुल प्वाइंट और सभी फ्लैट में एक एसी प्वाइंट

DOUBLE A DEVELOPERS PVT. LTD

Pradeep Kumar
DIRECTOR

12.4.15

Nishu kumar

13/4/2015
Siyambhar Kumar
12/4/15

Rakesh Kumar

13/4/15

13/4/15
12/4/15



14. जेनरेटर - जेनरेटर
 15. सबमर्सवल - जलापूर्ति के लिए बोरिंग
 16. ओभर हेड वाटर- सभी प्लैट में 24 घंटे सुचारु रूप से टैंक
जलापूर्ति हेतु दक्षता में सक्षम

यह कि भूखण्ड पूर्णतः परती है जो आवासीय सहायक रोड पर है, जिसका सरकारी कीमत मो0- 6,40,000/- प्रति डिसमिल है, इस तरह सम्पूर्ण 39.9843 डिसमील जिसका कुल कीमत मो0- 2,55,90,000/- रुपया है।

भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष तथा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष उपरोक्त सभी बातों पर सहमत हैं।

गवाहगण का हस्ताक्षर

(1) जगन्नाथ भुगान्
पिता श्री महेन्द्र प्रसाद
शिवम इन्डोलेन
दरिया रोड
पटना-
13-4-15

भूखण्ड स्वामी का हस्ताक्षर

(1) Rakesh Kumar.
13/4/15

(2) Nishu Kant Kumar
13/4/2015

(3) Gyanendra Kumar
13/4/2015

(4) श्री 21m. Anil - MDDI
13/04/15

(5) सुनीता देवी
13-4-15

(2) Nishant Kumar
S/O DILIP Kumar
VILL+PO+PS-BEUR
PATNA
13-4-15

विकासकर्ता का हस्ताक्षर

DOUBLE A DEVELOPERS PVT. LTD

Anil Kumar
DIRECTOR
प्रारूपकर्ता 13-4-15

टंकणकर्ता

अजीत कुमार

(अजीत कुमार)

कलेक्ट्रीयट पटना।

Double A Developers (P) Ltd.

R45 K4M98

ADU

DBA 8697/12

ADU

